पत्र सं0–18/विविध–14/2024–

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

आलोक गुप्ता,

विधि पदाधिकारी।

सेवा में,

सभी अपर सचिव,

सभी मुख्य अभियंता,

सभी संयुक्त सचिव (प्रबंधन/अभियंत्रण सहित)

सभी उप सचिव,

जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

/पटना–15, दिनांक :–

विषयः–विशेष काउन्सेल से आच्छादित अधिवक्ताओं के शुल्क भुगतान के मामले में वित्त विभागीय सहमति/परामर्श के संबंध में।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक 3318 दिनांक 23.08.2024.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में वित्त विभाग का ज्ञापांक 9205 दिनांक 22.08.2025 संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(आलोक गुप्ता)

विधि पदाधिकारी।

ज्ञापांक–18/विविध–14/2024 4438/पटना–15, दिनांक– 12.9.25

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को संबंधित पदाधिकारियों के ई0 मेल0 पता पर प्रेषित कराने एवं विभागीय बेवसाइट पर प्रकाशित कराने हेतु।

अनुलग्नक यथोक्त।

12/9/25

विधि पदाधिकारी।

पत्र सं०:-एम-4-10/2022............../वि०,

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

संजीव मित्तल, भा०प्र०से०
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना-15, दिनांक.................

विषयः- **विशेष काउन्सेल से आच्छादित अधिवक्ताओं के शुल्क भुगतान के मामले में वित्त विभागीय सहमति/परामर्श के संबंध में ।**

प्रसंगः- **वित्त विभागीय पत्रांक-8143 दिनांक-29.07.2024**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 की कंडिका-13 के आलोक में विशेष वचनबद्धता के मामले में विद्वान अधिवक्ताओं के शुल्क भुगतान हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था । परन्तु कतिपय विभागों के स्तर से विषयांकित मामले में वित्त विभागीय परामर्श की अपेक्षा की जा रही है।

विधि विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-सी०/ई०एच०-08/2023/4960/जे० दिनांक-04.07.2023 द्वारा प्रवृत्त बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली-2023 की कंडिका-13 में विशेष काउन्सेल से संबंधित प्रावधान प्रसंगवश निम्नवत् अवलोकनीय है:-

"विशेष काउन्सेल इस नियमावली में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाधिवक्ता को पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के लिये ऐसे निर्बंधनों एवं शुल्क पर, जो प्रशासी विभाग तथा विधि विभाग के परामर्श से, नियत की जाय, सरकार के लिए किसी अधिवक्ता को, जो इस नियमावली के अधीन विधि पदाधिकारी न हो, सरकार के लिए महत्वपूर्ण मामलों में विशेष काउंसेल के रूप में वचनबद्ध करने का विवेकाधिकार होगा।"

इस प्रकार उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में विशेष काउन्सेल से आच्छादित विद्वान अधिवक्ता के शुल्क निर्धारण की कार्रवाई प्रशासी विभाग एवं विधि विभाग के स्तर से की जानी है। इस क्रम में वित्त विभाग के अनुमोदन का तथ्य नहीं है ।

अतएव पुनः अनुरोध है कि विशेष काउन्सेल से आच्छादित विद्वान अधिवक्ताओं के शुल्क भुगतान के मामले में बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली-2023 की कंडिका-13 में निहित प्रावधानों के अनुपालन में नियमानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय। सुलभ प्रसंग हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-8143 दिनांक-29.07.2024 की छायाप्रति संलग्न है ।

अनु० यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह०/
(संजीव मित्तल)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः-एम-4-10/2022.9205../वि० पटना-15, दिनांक-22/08/2025

प्रतिलिपिः-विद्वान महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

संयुक्त सचिव।

अपर सचिव कोषांग
पत्र प्राप्ति संख्या 2377
दिनांक 01/09/2025
जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना

विधि पदाधिकारी,
पत्र संख्या 2331
प्राप्ति दिनांक 04/09/2025
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग
पत्र प्रा०सं० 6717
दिनांक 25/08/25

AS-1
विधि पदा०
5.0.18
04/9/25
2369
11-9-25
11/09/25